U.P. State Industrial DevelopmentAuthority



UPSIDC Complex,A-1/4,Lakhanpur, Kanpur-208024,Tel No. : 0512-2410027

Website: www.onlineupsidc.com Email ID: iasectionupsidc@gmail.com

क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा, सूरजपुर, आगरा, प्रयागराज, बरेली, क्षेत्र प्रबन्धक एसईजेड, मुरादाबाद, परियोजना अधिकारी, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचार सिटी, गाजियाबाद ।

सं०सं० 281 / यूपीसीडा/आईए/७६८ अम् अम्बद्ध दिनांक 02/62/2622

कृपया प्रायः यह देखा गया है कि आप द्वारा ऑनलाईन के प्रकरणों को मुख्यालय के निर्णयार्थ अपूर्ण प्रविष्टि, प्रपत्र व आख्या एवं बिना संस्तुति के आवेदन अग्रसारित किया जा रहा है, जो उचित नहीं है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया भविष्य में मुख्यालय को प्रेषित किए जाने वाले समस्त ऑनलाईन समय विस्तारण के प्रकरणों में कार्यालय आदेश संख्या 2039—42 दिनांक 18.12. 2018(प्रतिलिपि संलग्न) को संज्ञान में लेते हुए उसके अनुसार पूर्ण विस्तृत आख्या, आवंटन/हस्तान्तरण/लीजडीड के दिनांक इत्यादि का उल्लेख करते हुए, किस दिनांक से किस दिनांक तक, कितने प्रतिशत पर व उनके सम्मुख समय विस्तारण शुल्क के मद में गणना की गई धनराशि को दर्शाते हुए सारणीबद्ध पूर्ण विवरण सहित प्रेषित करें।

इसके अतिरिक्त समस्त प्रकरणों में आवेदन पत्र में important facts की समस्त प्रविष्टियां(प्रतिलिपि संलग्न) जैसे आवंटन / हस्तान्तरण / लीजडीड / कब्जा / पूर्णता / उत्पादनरत आदि पूर्ण कर ही प्रस्ताव अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे आप द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर त्वरित निर्णय लिया जा सके।

प्रत्येक प्रकार के ऑनलाइन आवेदनों हेतु निर्धारित आवश्यक प्रपत्रों के साथ चेकलिस्ट भी अवश्य प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे अनावश्यक बिलम्व न हो।

> (मोनिका कुमार) प्रभारी(औ0क्षे0)

SURAJEW

Site C

1.55

SHRI HARPRIET SINGH CHE HAPPETT SHIGH

PIENC

MAS HARPREET INTHISTRIES (PARTHERSHIP FIRM)

Partnership Firm

harproot singh740@yahop.com

9540999955

Important Facts

Allestonent Allestment No M5/\11129

24/09/2008

651-12 Possession

Reseasion No

62/12/2002

200 Lease Deed

Lease Deed Date 20/12/2000

Building Plan Submission Laderiasies Cate

Imprection to Construction busication Date .

Inspection to Completion Importion Date

Building plan completion Completion Date:

Regional Office:

Industrial Area

Plot No

Albertad in Name of

Austrapioned Gran

Albertact Arms

Firm/Company Name

Firm/Company Constitution

CIN NO

DAM NO Compail of

Shone No

Allotment Date

Application Letter

Possession Date.

Area Under Possession

Laura Deed Execution Date

Laura Deed

Approval Data


Approval Latter

letzzine thart Angeart :

linguanted by

brown from Report inspected by

Completion Letter issue Date: Completion Letter No:



Certificate issue Date : Certificate No:

Objection from sections					
Industrial Area		tario de la la la contractiva de la co			99
No Objection Found	<u> </u>	***************************************	arin menangan menang		
Land Acquisition	The state of the s			en e	
No Objection Found					
ATP & Layout	eta a di sagranda sagratuan rekerasa a managa an			anada anada ya ka kiran ini anzi i manka ada ada ada ka kiran ka a	
No Objection Found					
Engineering	PRINCE OF THE PRINCE PROVIDE PRINCE OF THE P	an nagagine may kin kili musum tu san hidibi. I kina sa masa 200 sa			
No Objection Found					
Legal	***************************************		20 (2000)	aud a 1911 to reduce and converse annual convention address file and distribute	yanogo yaka kangan (ili humoy ni unagyali ka kanuni overa atau kangan unur
No Objection Found					
Finance			(Manager Manager Co. Strong Co. Section 1997)	and and the physical effects have a refer to the enterior to an	
No Objection Found					

Pestate Industrial per priment Corporation Ltd.



UPSIDC Complex A-1/4, LAKHANPUR KANPUR - 208 024

PHONE: 0512-2582851-53 (F FAX: 0512-2580797 Website: www.upsidc.com E.Mail: feedback@upsidc.com

Reference No.

/SIDC/

Dated

निगम के संचालक मण्डल की दिनांक 21.11.2018 को सम्पन्न हुई 300दी बैटक ने लिये गये निर्णय के अनुसार निगम के औद्योगिक / व्यावसायिक फैसिलिटी / एकत आवासीय / ग्रुप हाउसिंग / संस्थागत उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डों की प्रचलित समयविस्तारण नीति एवं औद्योगिक भूखण्डों की हस्तान्तरण नीति में निम्नवत संशोधन किया जाता है :-

1. औद्योगिक भूखण्डों हेतु समय विस्तारण नीति

(क) समयविस्तारण की वर्तमान नीति में संशोधन करते हुये निम्नवत तालिका के अनुसार समयविस्तारण शुल्क के भुगतान की शर्त पर 01 वर्ष अथवा 02 वर्ष का समयविस्तारण सभी औद्योगिक भूखण्डों के आवंटियों / हस्तान्तरियों को गुण—दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा :—

क्र) आबंटी / हस्तान्तरी—वर्ग	01 वर्ष समय विस्तारण	1	
सं		हेतु देय समयविस्तारण		
1	THE LOCAL PROPERTY OF THE PARTY	शुल्क की दर		
		(प्रतिवर्गमीटर)	की दर (प्रतिवर्गमीटर)	
1	2	2 3		
1	ऐसे हस्तान्तरी जिन्हे इकाई	समयविस्तारण प्रदान किये	समयविस्तारण प्रदान	
	स्थापना हेतु हस्तान्तरण की	जाने की दिनांक को	किये जाने की दिनांक	
	दिनांक से कुल 01 वर्ष का	प्रचलित प्रीमियम दर का	को प्रचलित प्रीमियम दर	
	समय प्रदान किया गया	10 प्रतिशत	का २५ प्रतिशत	
2	क्रम संख्या 1 में वर्णित	दिनांक 31.12.2017 को	अनुमन्य नही	
	हस्तान्तरियों को छोडकर			
	ऐसे अन्य आवंटी/	नीति के अनुसार पूर्व की		
	हस्तान्तरी जिनके आवंटन/			
	हस्तान्तरण की दिनांक	05/10/15 प्रतिशत		
	31.12.2012 के पश्चात है	अन्तिम रूप से 01 वर्ष के		
		समयविस्तारण हेतु।		
		तत्पश्चात उपरोक्त		
		क्रमांक-1 के अनुसार		



3	ऐसे आवंटी/ हस्तान्तरी	समयविस्तारण प्रदान किये	समयविस्तारण प्रदान
	जिनके आवंटन /	जाने की दिनांक को	किये जाने की दिनाक
	हस्तान्तरण की दिनांक 01.	प्रचलित प्रीमियम दर का	को प्रचलित प्रीमियम
	01.2013 के पूर्व की है एवं		दर का 25 प्रतिशत
	उन्हे विस्तारित समय वर्ष		
	2018 में उपलब्ध है		
4	ऐसे आवंटी / हस्तान्तरी	समयविस्तारण प्रदान किये	समयविस्तारण प्रदान
	जिनके आवंटन /	जाने की दिनांक की	कियं जान का दिनाक
	नाना नाम की दिनांक 01	गज्ञित गीमियम दर का	को प्रचालत प्रामियम् ।
	०४ २०४२ के मर्व की है	15 प्रतिशत तथा उपरोक्त	दर का 30 प्रातशत
	किन्त उनके दारा दिनांक	के साथ पिछल सभा ववा	तिथा उपराक्त क ताल ।
	31 12 2017 तक	हेत् नियमानुसार दय	पिछल समा वषा हतु
	1 / THE COLUMN	जागितिकतार्गा पालक भी	। निरामानसार दय ।
	हेतु आवेदन नहीं किया गया	दिनांक 31.12.2017 को	समयविस्तारण शुल्क भा
	3	प्रभावा समयावस्तारण नात	। दिनाक 31.12.2017 का
			प्रभावी समयविस्तारण
		· An or strike	नीति के अनुसार देय
			होगा।
5	आवंटन के पुनर्जीवीकरण	समयविस्तारण प्रदान किये	अनुमन्य नही
	पत्र में अनुमन्य समयसीमा	जाने की दिनांक को	
	समाप्त होने पर	प्रचलित प्रीमियम दर का	
		15 प्रतिशत तथा उपरोक्त	
	_	के साथ पिछले सभी वर्षी	
	The state of the s	हेतु नियमानुसार देय	
		समयविस्तारण शुल्क भी	,
and selection		दिनांक 31.12.2017 को	
-		प्रभावी समयविस्तारण नीति	
		के अनुसार देय होगा।	
6.	उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 के		समयविस्तारण प्रदान
	अतिरिक्त अन्य सभी	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	किये जाने की दिनांक
	आवंटी / हस्तान्तरी	प्रचलित प्रीमियम दर का	
	•	10 प्रतिशत तथा उपरोक्त	
		के साथ पिछले सभी वर्षी	
			पिछले सभी वर्षो हेतु
		समयविस्तारण शुल्क भी	नियमानुसार देय
		दिनांक 31.12.2017 को	समयविस्तारण शुल्क भी
* 1		प्रभावी समयविस्तारण नीति	
		के अनुसार देय होगा।	प्रभावी समय विस्तारण
		1 - 3 3 - 3 - 3 - 1 - 1	नीति के अनुसार देर
			होगा।
		L	Gill

Scanned with CamSca



- (ख) समय विस्तारण हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी द्वारा निर्णय हेतु स्पष्ट संस्तुति सहित मुख्यालय अग्रसारित किये जायेगें। उपरोक्त प्रस्तर (क) में दी गई तालिका के क्रमांक 2 एवं 4 पर अंकित आवंटियों को उपरोक्तानुसार समयविस्तारण की सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन विलम्बतम दिनांक 31.3.2019 तक निगम के सम्बन्धित कार्यालय में प्राप्त कराना होगा तथा दिनांक 31.03.2019 के पश्चात प्राप्त ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी प्रकरणों पर निर्णय गुण—दोष के आधार पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिया जाएगा।
- (ग) किसी भी आवंटी / हस्तान्तरी को उपरोक्तानुसार समयविस्तारण अधिकार रूप में स्वयंमेव प्राप्त नहीं होगा तथा सभी प्रकरणों में आवंटी द्वारा इकाई स्थापना में की गयी प्रगति के दृष्टिगत गुण—दोष के आधार पर समयविस्तारित किये जाने का निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।
- (घ) वर्तमान में प्रचलित समयविस्तारण नीति उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझी जाएगी तथा उक्त नीति के अन्य प्रावधान यथावत रहेगें।
- 2. <u>व्यावसायिक-फैसिलिटी / एकल आवासीय / ग्रुप हाउसिंग / संस्थागत उपयोग हेतु</u> आवंटित भूखण्डों के लिये समयविस्तारण नीति

संचालक मण्डल के निर्णय के अनुसार उपरोक्त सभी प्रकृति के उपयोगों हेत् आवंटित किये गये भूखण्डों में समयविस्तारण की संशोधित नीति निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

(क) व्यावसायिक—फैसिलिटी / ग्रुप हाउसिंग / संस्थागत (शैक्षणिक प गैर—शैक्षणिक) उपयोग हेतु भविष्य में आवंटित / हस्तान्तरित किये जाने व भूखण्डों में आवंटन / हस्तान्तरण की दिनांक से कुल 05 वर्ष का समय भूखण्ड अनुमन्य उपयोग करने हेतु दिया जाएगा। तत्पश्चात 01 वर्ष समयविस्तारण हेतु upside

समयविस्तारण शुल्क की दर प्रश्नगत भूखण्ड हेतु समयविस्तारण का अनुमोदन प्रदान किये जाने की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर का 10 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर होगी। अगले 01 वर्ष के समयविस्तारण के लिये देय समयविस्तारण शुल्क की दर प्रश्नगत भूखण्ड हेतु तत्समय प्रचलित प्रीमियम दर का 15 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर होगी।

- (ख) व्यावसायिक—फैसिलिटी / ग्रुप हाउसिंग / संस्थागत (शैक्षणिक एवं गैर—शैक्षणिक) उपयोग हेतु वर्तमान में आवंटित / हस्तान्तरित सभी भूखण्डों में आवंटन / हस्तान्तरण पत्र अथवा लीजडीड में अनुमन्य समय—सीमा समाप्त होने पर देय समयविस्तारण शुल्क प्रश्नगत आवंटनपत्र / हस्तान्तरणपत्र / लीजडीड की शर्तों में यदि स्पष्ट रूप से उल्लिखित है तो तदनुसार देय होगा अन्यथा अब 01 वर्ष समयवृद्धि हेतु देय समयविस्तारण शुल्क की दर प्रश्नगत भूखण्ड हेतु समयविस्तारण का अनुमोदन प्रदान किये जाने की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर का 10 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर होगी। अगले 01 वर्ष के समयविस्तारण के लिये देय समयविस्तारण शुल्क की दर प्रश्नगत भूखण्ड हेतु तत्समय प्रचलित प्रीमियम दर का 15 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर होगी।
- (ग) एकल आवासीय भूखण्डों में अनुमन्य समय सीमा समाप्त हो जाने पर भी कोई समयविस्तारण शुल्क देय नहीं होगा।
- (घ) किसी भी व्यावसायिक—फैसिलिटी / ग्रुप हाउसिंग / संस्थागत (शैक्षणिक एवं गैर—शैक्षणिक) भूखण्ड के आवंटी / हस्तान्तरी को उपरोक्तानुसार समयविस्तारण अधिकार रूप में खंयंमेव प्राप्त नहीं होगा तथा सभी प्रकरणों में आवंटी द्वारा अनुमन्य उपयोग की दिशा में की गयी प्रगति के दृष्टिगत गुण—दोष के आधार पर समयविस्तारित किये जाने का निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।



3. औद्योगिक भूखण्डों के हस्तान्तरण की नीति में संशोधन

ऐसे औद्योगिक भूखण्ड जिनके आवंटन से 5 वर्ष की अविध व्यतीत नहीं हुई है तथा प्रश्नगत भूखण्ड निगम के आपरेटिंग मैन्युअल (औद्योगिक क्षेत्र) वर्ष—2011 चैप्टर —6 के प्रस्तर 6.01 में दी गयी परिभाषा के अनुसार "रिक्त भूखण्ड" की श्रेणी में आता है, के हस्तान्तरण हेतु आवंदन पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथि दिनाक 31.3.2019 होगी तथा ऐसे भूखण्डों का हस्तान्तरण वर्तमान प्रचलित प्रीमियम दर के 15 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर की दर पर देय हस्तान्तरण लेवी सिहत अनुमन्य होगा। ऐसे सभी प्रकरणों पर गुण—दोष के आधार पर निर्णय प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिया जाएगा।

हस्तान्तरण की वर्तमान नीति के शेष प्रावधान यथावत रहेगें।

(राजेश कुमार सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

संख्या2 43 -46 / एसआईडीसी-आईए- पालिसी वाल्यूम-17

दि0 (8-12-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,

2. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।

3. समस्त अधिकारी / कर्मचारी, (औ० क्षे० अनुभाग), उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय,

कानपुर।

💶 गार्ड फाईल

17.12.18

(राजेश कुमार सिंह) प्रबन्ध निदेशक